रोज़गार मिशन का होगा गठन, सभी कारखानों में होगी महिलाओं की एंट्री

कारखाना अधिनियम में बदलाव, 29 प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी महिलाओं के रास्ते खुले

कैबिनेट के फैसले

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

प्रदेश के युवाओं को देश-विदेश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए यूपी रोजगार मिशन का गठन होगा। मिशन 'रिक्रूटिंग एजेंसी' के तौर पर काम करेगा और इसका लाइसेंस भी लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने एक और अहम फैसले में कारखानों के उन दरवाजों को भी महिलाओं के लिए खोल दिया है, जहां अभी सुरक्षा को आधार बनाकर उनके काम करने पर प्रतिबंध था।

बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि यूपी रोजगार मिशन देश-विदेश में रोजगार की मांग का सर्वे, प्रतिष्ठित कंपनियों की लिस्टिंग और उससे समन्वय, बेरोजगार अभ्यर्थियों के स्किल गैप की स्टडी कर अवसर उपलब्ध करवाएगा। इसका संचालन पांच समितियों के जरिए होगा। इंटीग्रेटेड पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके जरिए कंपनियों और जॉब सीकर के बीच समन्वय और रोजगार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। एक साल में 30 हजार से अधिक युवाओं को विदेश और एक लाख युवाओं को देश में निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाने का लक्ष्य है।

महिला श्रमिकों की भागीदारी महज 5% : कैबिनेट ने यूपी कारखाना नियमावली के नियम 109 की अनुसूची में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्रोमिक एसिड, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ग्लास, पेट्रोलियम गैस के उत्पादन, प्रिंटिंग प्रेस, पेस्टिसाइड निर्माण सहित 29 प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी महिलाओं का सेवायोजन हो सकेगा। मंत्री ने बताया कि तकनीक के इस्तेमाल से कार्य सहज हुआ है और सुरक्षा प्रक्रिया बढ़ी है। इसलिए, यह अनुमति दी गई है। अनिल राजभर ने कहा कि कारखानों में महिला श्रमिकों की भागीदारी महज 5% है। अगर नोएडा को हटा दिया जाए तो महज 1% महिला कर्मकार हैं।

यूपी सिडको में समूह 'ख' के पदों पर भर्ती UPPSC से : समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट (यूपी सिडको) में समूह ख के पदों पर भर्ती UPPSC से होगी। इसके लिए नियमावली में बदलाव हुआ है। यूपी सिडकों में समूह ख के स्वीकृत 135 पदों के सापेक्ष केवल 25 पद ही भरे हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी है। इसलिए, नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया था। खाली पदों में 65 पर सीधी भर्ती होगी।

UPSSSC से होगी भर्ती, नियमावली को मंजूरी : अब डिप्लोमाधारी ही वैटिनिरी फार्मासिस्ट बन सकेंगे। इनकी भर्ती भी अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) से होगी। इसके लिए उ.प्र. पशुपालन वेटिनरी विभाग फार्मासिस्ट सेवा नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कई साल से रुके फार्मासिस्टों की भर्ती और प्रमोशन की अड़चन भी दूर हो गई है। पशुपालन विभाग में शुरुआत में कंपाउंडर के पद पर भर्तियां होती थीं। इस पद के लिए शैक्षक अर्हता इंटर थी। इनका पद नाम बदलकर फार्मासिस्ट कर दिया गया था, लेकिन फार्मासिस्ट की शैक्षिक अर्हता सहित कई विवादों के कारण प्रमोशन और भर्तियां रुकी हुई थीं। विभाग में भर्तियां न होने के कारण फार्मासिस्ट संवर्ग के 2022 पदों में महज 737 पद ही भरे हैं। अब नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद भर्तियां और प्रमोशन हो सकेंगे। यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वैटिनरी फार्मासिस्ट के लिए कम से कम दो साल तीन माह का फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना जरूरी है। फार्मासिस्टों का प्रमोशन भी चीफ वैटिनरी फार्मासिस्ट और प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के पद पर हो सकेगा। वहीं, होमगार्ड में डिप्टी जनरल कमांडेंट के पद के लिए अधिकारियों की कमी के चलते मंडलीय कमांडेंट के डिप्टी कमांडेंट जनरल के पद पर प्रमोशन में ढील दी गई है। कैबिनेट ने होमगार्ड्स सेवा नियमावली-1982 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी देते हुए प्रमोशन में आने वाले गतिरोधों को दूर कर दिया गया है।

ADO, VDO बनने के लिए 'ट्रिपल सी' अनिवार्य

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) और सहायक विकास अधिकारी (ADO) पदों पर भर्ती की अर्हता में बदलाव किया गया है। शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट ही रहेगी, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर संचालन का ज्ञान जरूरी होगी। भर्ती में अब ट्रिपल सी प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट के लिए इसके लिए समाज कल्याण की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। आयोग को अधियाचन भेजा गया था। इसके बाद आयोग ने ही ट्रिपल सी को अर्हता में जोड़ने के लिए नियमावली में बदलाव की सिफारिश की थी। वहीं, ग्राम विकास विभाग की VDO सेवा नियमावली में बदलाव कर इंटर साइंस या कृषि की बाध्यता खत्म कर इसे सभी स्ट्रीम के लिए खोल दिया गया है। VDO का पद अधीनस्थ आराजपत्रित सेवा के तहत आएगा। इसलिए, इनका एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी किया जा सकेगा।

ये फैसले भी हुए

- हथकरघा निगम, यूपिका, खादी बोर्ड से सरकारी विभागों में खरीद की अनिवार्यता 3 साल बढ़ी
- अयोध्या में NSG हब की स्थापना के लिए कैंट क्षेत्र में 8 एकड़ नजूल भूमि 99 साल की लीज पर दी जाएगी
- केएन गोदी विवि, गाजियाबाद की स्थापना के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट पर सहमति
- जिलों में पुलिस के लिए 345 नए वाहन की खरीद
- मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद में गंग नहरी की दाहिने पटरी पर 111 किमी लंबे कांवड़ मार्ग का नवनिर्माण
- भाषा संस्थान के कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 से 60 साल
- पूर्व सैनिक कल्याण निगम से विभिन्न कार्यों के लिए पूर्व सैनिकों को अब सीधे भी नियोजित किया जा सकेगा। जैम पोर्टल की अनिवार्यता नहीं रहेगी। निगम को 5% तक आउटसोर्स चार्ज मिल सकेगा
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथारिटी एरिया (BIDA) के (प्रिप्रेशन ऐंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेग्युलेशन को मंजूरी, अथॉरिटी के विकास की प्रक्रिया तेज होगी
- BIDA के विकास के लिए अधिग्रहित 33 गांवों में अतिरिक्त भूमि भी अथॉरिटी को दिलवाई जाएगी
- इंटीग्रेटेड फाइनैंशल मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ अडवांस कंप्यूटिंग (C-DAC) से करार होगा

जिस मामले में अभिषेक सस्पेंड, उस कंपनी को LoC

जिस कंपनी के प्रॉजेक्ट के अप्रूवल के लिए घूस मांगने के आरोप में इन्वेस्ट यूपी के CEO रहे IAS अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया था, उसकी यूनिट लगाने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को कैबिनेट ने सेल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड के यमुथा अथॉरिटी में 8,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को केस टु केस आधार पर लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoC) जारी करने की अनुमति दे दी है।
सेल सोलर ने लगभग 8,000 करोड़ रुपये के निवेश से नोएडा में 5 गीगावॉट के सोलर सेल व मॉड्यूल की मैन्युफेक्चरिंग की अनुमति मांगी थी। इस मामले में अभिषेक पर बिचौलिए निकांत जैन के जरिए घूस मांगने का आरोप लगा था। निकांत जेल में है और अभिषेक इसके बाद से सस्पेंड हैं। गुरुवार को कैबिनेट ने सेल सोलर को केस टु केस आधार पर कस्टमाइज्ड इंसेटिव पैकेज व LoC जारी करने पर सहमति दे दी। इसके सहित कुल 21 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर इंसेटिव की मंजूरी दी गई है।

BSA संवर्ग में प्रमोशन का रास्ता साफ

माध्यमिक शिक्षा विभाग में BSA संवर्ग में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली में संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। नियमावली में पुरुष, महिला प्रिंसिपल/वाइस प्रिंसिपल और BEO का कोटा नए सिरे से तय कर दिया गया है। राजकीय हाईस्कूल के प्रिंसिपल और इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के साथ BEO का प्रमोशन BSA संवर्ग में किया जाता है। नियमावली के अनुसार महिला और पुरुष प्रिंसिपल/वाइस प्रिंसिपल का कोटा 33-33% होगा। BEO का कोटा 34% होगा। इससे पहले प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने से पहले कोटा तय किया गया था।